रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No. 302] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,—

(क) विनियम 6 में, उप-विनियम (4) में,—

क. खंड (ग) में, शब्द और चिह्न "जिसके अन्तर्गत लिखित परीक्षा और/या सामूहिक चर्चा तथा साक्षात्कार है", शब्दों "जिसमें लिखित परीक्षाएँ और साक्षात्कार शामिल हैं" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे;

ख. खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(घ) सक्षम प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें उतने व्यक्ति और बाहरी विशेषज्ञ होंगे जितने वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए निर्धारित करे:

परंतु यह कि कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी (अनुमोदन) बोर्ड द्वारा, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव देने से पहले, प्रदान की जाएगी।"

(ख) विनियम 10 में,—

क. मौजूदा उप-विनियम (1), निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(1) निर्धारित (विनिर्दिष्ट) वेतनमानों (स्केल ऑफ पे) में से किसी में सीधे नियुक्त किया जाने वाला कर्मचारी दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेगा।"

ख. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(1क) एक ग्रेड (श्रेणी) / वेतनमान (स्केल) से दूसरे में पदोन्नत होने वाला कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेगा।"

(ग) विनियम 36 में, मौजूदा उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(6) कार्य की अत्यावश्यकताओं और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी (अनुमोदन) के अध्यधीन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 2016) में यथा परिभाषित दिव्यांग कर्मचारियों को, एक कलैंडर वर्ष में, दिव्यांगता (निःशक्तता / विकलांगता) से संबंधित सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षणों या कार्यशालाओं तथा विकास से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकतम दस दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकेगी और कर्मचारी की दिव्यांगता से संबंधित विशेष जरूरतों के लिए अधिकतम चार दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकेगी:

परंतु यह कि इस उप-विनियम के अधीन दी जाने वाली विशेष आकस्मिक छुट्टी ऐसी शर्तों आदि के अध्यधीन दी जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर तय की जाएँ।"

(घ) विनियम 55 में, -

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(1) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गया हो, उस तारीख से, जब वह अंतिम रूप से बोर्ड की सेवा में नहीं रहता, एक वर्ष की अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना, कोई वाणिज्यिक रोजगार (नियोजन) [कमर्शियल एंप्लॉयमेंट] स्वीकार नहीं करेगा या को हाथ में नहीं लेगा:

परंतु यह कि जिस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले उसकी छुट्टी के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान वाणिज्यिक रोजगार (नियोजन) [कमर्शियल एंप्लॉयमेंट] को हाथ में लेने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो, उसके लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे रोजगार से जुड़े रहने के संबंध में फिर से मंजूरी आदि लेना जरूरी नहीं होगा।"

ख. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"(3) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का कोई भी कर्मचारी [जिसमें संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) पर नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं], उस तारीख से, जब वह अंतिम रूप से बोर्ड की सेवा में नहीं रहता, एक वर्ष की अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के यहाँ रोजगार स्वीकार नहीं करेगा या को हाथ में नहीं लेगा या से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ेगा:

परंतु यह कि यदि कर्मचारी, एक वर्ष की अवधि के भीतर, बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत किसी दूसरे मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के यहाँ रोजगार चाहता हो या बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत किसी दूसरे मध्यवर्ती से किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहता हो, तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि वह बोर्ड से फिर से मंजूरी प्राप्त करे:

परंतु यह और कि, मंजूरी देने से इनकार करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देगा। लिए गए निर्णय की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को प्रदान की जाएगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी मंजूरी प्रदान करते समय इस संबंध में स्वयं की संतुष्टि कर लेगा कि मंजूरी प्रदान करना उचित है, जिसके लिए वह इस बात पर गौर करेगा कि कर्मचारी का बोर्ड की सेवाओं में रहते हुए उक्त मध्यवर्ती के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहा है; और ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकेगा, जो भी मामले की परिस्थितियों के मद्देनज़र जरूरी हों, जिनमें कर्मचारी को बोर्ड के समक्ष किसी भी प्रकार से मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिषिद्ध करना भी शामिल है।"

ग. मौजूदा उप-विनियम (4) उप-विनियम (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा ।

(ङ) अनुसूची में,—

क. मौजूदा शीर्षक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,—

"अनुसूची

[विनियम 6 के उप-विनियम (4) का खंड (ख) एवं खंड (घ) देखें]"

ख. तीसरे कॉलम में,—

i. ग्रेड डी, ई एवं एफ (श्रेणी घ, ङ एवं च) हेतु अर्हता की मौजूदा अपेक्षाएँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएँगी, अर्थात्,—

"सामान्य धारा में अधिकारियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में मास्टर की उपाधि, विधि में स्नातक की उपाधि, इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि, सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए ।

विधिक धारा में अधिकारियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि ।

अनुसंधान धारा में अधिकारियों के लिए सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) [बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस)]/अर्थमिति (इकोनोमैट्रिक्स) में मास्टर की उपाधि ।

तकनीकी धारा में अधिकारियों के लिए इंजीनियरिंग [विद्युत (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)/कंप्यूटर विज्ञान] में स्नातक की उपाधि/कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर की उपाधि/किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में स्नातक की उपाधि [कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (जिसकी अवधि कम से कम 2 वर्षों की हो) के साथ] ।"

ii. ग्रेड 'ए' (श्रेणी 'क') में अधिकारियों की भर्ती हेतु आयु की अधिकतम सीमा के संबंध में, अंक "27" अंक "30" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

ग. छठे कॉलम में, शब्दों और चिह्न "नियुक्ति पत्र/प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव अभ्यर्थी को किये जाने के पूर्व चयन समिति की सिफारिश बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी" का लोप हो जाएगा ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./182/18]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. वे तत्पश्चात् -

(क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा

(ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा

(ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा

(घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा

(ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा

(च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा

(छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा

(ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा

(झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा

(ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा

(ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा

(ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा

(ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा

(ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा

(ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा

(त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा

(थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा

(द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th August, 2018

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(EMPLOYEES' SERVICE) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely,–

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, -

(A) in regulation 6, in sub-regulation (4), -

a. in clause (c), the words "a written test and/or group discussion" shall be substituted with the words "written tests";

b. in clause (d), in the *proviso* thereto, the words "that in the case of appointment to the post of Executive Director, the Selection Committee shall consist of Chairman and two other members of the Board, constituted by the Chairman and such" may be omitted.

(B) in regulation 10, -

a. in sub-regulation (1), -

i. words "or promoted to one grade/scale to another" shall be omitted;

ii. the word "one" shall be substituted with the word "two".

b. after the existing sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(1A) An employee promoted to one grade/scale to another shall be on probation for a period of one year."

(C) in regulation 36, after the existing sub-regulation (5), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(6) Subject to the exigencies of work and approval by the competent authority, differently abled employees, as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, may be granted, in a calendar year, a maximum of ten days of special casual leave for participating in Conference, Seminars, Trainings or Workshops related to disability and development related programs and a maximum of four days of special casual leave for specific requirements relating to the disability of the employee:

Provided that the grant of special casual leave under this sub-regulation shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the competent authority from time to time."

(D) in regulation 55, -

a. in sub-regulation (1), the words "two years" shall be substituted with the words "one year" .

b. in sub-regulation (3), -

i. the words "two years" shall be substituted with the words "one year" .

ii. before the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that the employee would be required to seek fresh approval from the Board in the event of seeking employment with another intermediary registered with the Board or associating in any other manner with another intermediary registered with the Board, within the period of one year".

iii. in the existing *proviso*, which shall now be the second proviso, the symbols and word ", however," shall be substituted with the words and symbol " further that,".

iv. the provision appearing after the proviso shall be numbered as sub-regulation (4) and clause (a) appearing therein shall be added to the provision without any clause number.

v. clause (b) shall be omitted.

c. the existing sub-regulation (4) shall be re-numbered as sub-regulation (5).

(E) in the Schedule, -

a. in the reference to the enabling clause to the Schedule; the words "and clause (d)" shall be inserted after the words "Clause (b)".

b. in the third column, –

i. for the qualification for Grade D, E and F, the existing requirements shall be substituted with the following clauses, namely, -

"Master's Degree in any discipline, Bachelor's Degree in Law, Bachelor's Degree in Engineering from a recognized university, CA, CFA, CS, CWA for officers in the General Stream.

Bachelor's Degree in Law from a recognized University/Institute for officers in the Legal Stream.

Master's Degree in Statistics / Economics / Commerce / Business Administration (Finance) / Econometrics for officers in the Research Stream."

Bachelor's Degree in Engineering (electrical/ electronics/ electronics and communication/ information technology/ computer science)/ Masters in Computers Application/ Bachelor's Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/ information technology for officers in Technical Stream."

ii. maximum age for recruitment of officers in Grade 'A', the figure "27" shall be substituted with the figure "30";

c. in the sixth column, the words "The Recommendation of Selection Committee shall be placed before the Board before an appointment letter/deputation offer is made to the candidate." shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./182/18]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 *vide* S.O. No. 857(E).

2. They were subsequently amended –

(a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.

(b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).

(c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.

(d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.

(e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.

(f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.

(g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.

(h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.

(i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.

(j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LADNRO/GN/2014-15/22/366.

(k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.

(l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.

(m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.

(n) On 27th April, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.

(o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.

(p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.

(q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.

(r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.21 14:43:19 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.